न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 119 / 2018

1 हरिप्रसाद पुत्र डालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी अजाड़ी खुर्द पोस्ट पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू जरिये मुख्यतार विजय कुमार शर्मा पुत्र हरिप्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी अजाड़ी खुर्द पोस्ट पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सरोज शर्मा पत्नी मनोज कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी एफ ब्लॉक 38,39 इंदिरा नगर झुंझुनू जिला झुंझुनू।

2 बनवारी पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी अजाड़ी खुर्द पोस्ट पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू।

3 बनारसा उर्फ बनारसीलाल पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी अजाड़ी खुर्द पोस्ट पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी ग्राम चन्दा का बास पोस्ट चंदा का बास तहसील भिवानी जिला भिवानी हरियाणा।

4 विजेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद।

5 संदीप पुत्र बद्रीप्रसाद।

6 रवि पुत्र बद्रीप्रसाद।

7 शारदा पत्नी बद्रीप्रसाद।

8 महेश पुत्र उमाराम।

9 पवन पुत्र उमाराम।

10 रामप्यारी पत्नी उमाराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण अजाड़ी खुर्द पोस्ट पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू।

11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 16.10.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उनवानी सरोज शर्मा बनाम बनवारी आदि मुकदमा नम्बर 84/2014।

उपस्थिति :

1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अशोक शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 09.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 11 के विरूद्व अदालत मातहत के यहां अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 323,322,317,318 वाके ग्राम अजाड़ी खुर्द में से रास्ता कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16.10.2018 को स्वीकार कर अदालत द्वारा अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 323 एवं एक अन्य खसरा नम्बर 320 में से कुल 380 मीटर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के नियम 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में नियम 69 की पालना भी नही की गई है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 26.04.2018 द्वारा तहसीलदार झुंझुनू को यह स्पष्ट आदेश दिया गया था कि दोनो पक्षो को नोटिस जारी कर एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में स्वयं मौके की रिपोर्ट तैयार करें परन्तु तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पूर्व में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार ही मौके की रिपोर्ट तैयार कर ली तथा प्रार्थीया सरोज देवी के अतिरिक्त किसी भी पक्षकार के इस रिपोर्ट दिनांक 18.05.2018 पर हस्ताक्षर नहीं है एव ना ही इस रिपोर्ट के साथ पक्षकारों को जारी किये गये नोटिस संलग्न है। अत स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करके तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.2018 तैयार की गई है। तहसीलदार झुंझुनू की रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 के साथ जो नजरी नक्शा संलग्न है उसको देखने से ही यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 321 के दक्षिणी पूर्वी कोने से जो खसरा नम्बर 320 की सींव मुख्य सड़क तक जाती है वह काफी कम है करीब 50 मीटर अत यदि खसरा नम्बर 320 की दक्षिणी सींव के सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो 50 गुणा 4 200 वर्ग मीटर जमीन ही रास्ते में जायेगी जो कि रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 में प्रस्तावित रास्ते से आधी ही है। अत स्पष्ट है कि तहसीलदार झुंझुनू ने निकटतम एवं लघुतम रास्ते के बजाये दीर्घतम रास्ता कायम करने हेतु मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के नियम 68 की पालना में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम 69 की पालना सुनिश्चित कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु समस्त पक्षकारों को सूचित किया गया था उपस्थित पक्षकारों की मौजुदगी में विधि अनुसार लघुतम रास्ते की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार सुनवाई कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील निर्धारित मियाद अवधि से 3 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के नियम 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में नियम 69 की पालना भी नही की गई है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 26.04.2018 द्वारा तहसीलदार झुंझुनू को यह स्पष्ट आदेश दिया गया था कि दोनो पक्षो को नोटिस जारी कर एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में स्वयं मौके की रिपोर्ट तैयार करें परन्तु तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर प्रार्थीया सरोज देवी के अतिरिक्त किसी भी पक्षकार के इस रिपोर्ट दिनांक 18.05.2018 पर हस्ताक्षर नहीं है एव ना ही इस रिपोर्ट के साथ पक्षकारों को जारी किये गये नोटिस संलग्न है। अत स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करके तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.2018 तैयार की गई है। तहसीलदार झुंझुनू की रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 के साथ जो नजरी नक्शा संलग्न है उसको देखने से ही यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 321 के दक्षिणी पूर्वी कोने से जो खसरा नम्बर 320 की सींव मुख्य सड़क तक जाती है वह काफी कम है करीब 50 मीटर अत यदि खसरा नम्बर 320 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दक्षिणी सींव के सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो 50 गुणा 4 200 वर्ग मीटर जमीन ही रास्ते में जायेगी जो कि रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 में प्रस्तावित रास्ते से आधी ही है। अत स्पष्ट है कि तहसीलदार झुंझुनू ने निकटतम एवं लघुतम रास्ते के बजाये दीर्घतम रास्ता कायम करने हेतु मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार सभी पक्षकारों को जरिये नोटिस मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु सूचना देवें तत्पश्चात सभी पक्षकारों की उपस्थिति में लघुतम रास्ते की रिपोर्ट एवं वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट प्रस्तुत करें विचारण न्यायालय इस रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुनकर गुणवगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर